अल्पसंख्यक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मानीटरिंग समिति

अल्पसंख्यक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मानीटरिंग समिति जिसका पहली बार गठन 7 अगस्त, 2004 को हुआ था, का इसकी अवधि समाप्त होने पर 23 अगस्त, 2007 को पुनर्गठन किया गया है। समिति की अध्यक्षता मानव संसाधन विकास मंत्री करते हैं और इसमें प्रबुद्ध शिक्षाविदों, अल्पसंख्यक समुदाय के विद्वानों और अल्पसंख्यक समुदाय के अन्य प्रतिनिधियों, संसद सदस्यों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व है। सतत् आधार पर अल्पसंख्यक शिक्षा से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए अल्पसंख्यक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय मानीटरिंग समिति की एक स्थायी समिति का गठन भी किया गया है। स्थायी समिति ने अल्पसंख्यक समुदायों, शैक्षिक संस्थाओं के प्रबंधनों और अन्य भागीदारों के साथ बातचीत करने के लिए लगभग सोलह राज्यों का दौरा किया है। मदरसों में आधुनिक विषय आरम्भ करने की योजना में संशोधन करने के संबंध में सिफारिशें देने हेतु अल्पसंख्यक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मानीटरिंग समिति (एन.एम.सी.एम.ई) द्वारा विशेषज्ञों के एक दल का भी गठन किया गया था ताकि इसकी पहुँच में वृद्धि की जा सके। विशेषज्ञों के उक्त समूह द्वारा की गई सिफारिशों का एनएमसीएमई द्वारा समर्थन किया गया है और इसने मदरसा आधुनिकीकरण की मौजूदा योजना, जिसे 11वीं योजना के लिए योजना आयोग के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है, को पुनः तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।